


10-418

पगावली चेरा डूई वकील अधिवक्ता को दिल्ली
मर्तवा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित
नहीं। अनुपस्थित होने से शर्तना पत्र अदम
हजरी व अदम पेंरवी में न्वारिज किया जाता है।
पगावली कैंसल ह्युगार होकर मम्बर से भुम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मंडल जिला भीलवाड़ा